राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक : एफ 25 (1) लेखा/अमि./आकाशि/09/ 1527 दिनांक 07/6/11

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि इस विभाग से सम्बन्ध अधीनस्थ महाविद्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा मासिक आय–व्यय विवरण पत्र निर्धारित समय पर प्रेषित नही किये जाते है। परिणामस्वरूप राज्य सरकार को सूचनाएं प्रेषित करने में काफी विलम्ब हो जाता है एवं अंकमिलान कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण किया जाना संभव नहीं हो पाता है। अतः सन्दर्भित प्रकरण में निम्नांकित बिन्दूओं पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए भविष्य में इसकी अनुपालना सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

(1) मासिक आय तथा व्यय विवरण निर्धारित तिथि अर्थात आगामी माह की 5 तारीख तक इस आयुक्तालय को अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

(2) आय–व्यय विवरण पत्र निर्धारित प्रपत्र में स्पष्ट सुपठित हों। प्रपत्रों के लिए पुराने अथवा गले हुए पेपर का उपयोग नहीं किया जावें

(3) प्रत्येक माह का विवरण पृथक–पृथक प्रेषित किया जावे।

(4) आय का विवरण भी पृथक से भिजवाये तथा आय न होने पर शून्य विवरण आवश्यक रूप से भिजवाया जाना अपेक्षित है। केवल ऐसी आय जिसे चालान द्वारा राजकोष में जमा कराई जाती है को ही इस आय विवरण में अंकित कर दर्शाया जावे।

(5) कुल राशि,शुद्ध राशि एवं कटौती राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(6) आहरित बिलों पर विस्तृत बजट मद आयोजना/आयोजना भिन्न स्पष्ट/सुपठित रूप से अंकित किया जावे जिससे महालेखाकार के लेखों में सही बजट मद में राशि बुक हो।

(7) व्यय करते समय निर्धारित बजट सीमा का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

(8) आय विवरण प्रेषित किये जाने हेतु निर्धारित प्रोफार्मा एवं व्यय विवरण (जी.ए. 19) सलग्न है।

आय व्यय विवरण पत्र हर माह के दिनांक 5 तारीख तक इस कार्यालय में भिजवाने हेतु आहरण एवं विवरण अधिकारी तथा लेखाकार जिम्मेदार होगें तथा समय पर मासिक विवरण पत्र प्राप्त न होने पर इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निदेशक
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

(1) आहरण एवं वितरण अधिकारी,निदेशालय कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।

(2) समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय (पुरूष/महिला)।

(3) सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा (कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर)।

(4) समस्त लेखाकार/क.लेखाकार/लेखा लिपिक/समस्त राजकीय महाविद्यालय(पुरूष/महिला)।

(5) लेखाकार (भुगतान) निदेशालय कॉलेज राज.जयपुर।

(6) संयुक्त निदेशक (P&C) को विभागीय वेब साइड़ पर अपलोड़ करने हेतु।

मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

D:\College Accounts\Accounts Deptt\Letter.doc

राजस्थान सरकार

मदवार आय विवरण

महाविद्यालय का नाम : ....

0202 – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति
01– सामान्य शिक्षा
103– विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

चालान द्वारा राजकोष में जमा होने वाली आय का विवरण पत्र.

क्र. सं	चालान संख्या एवं दिनांक	(01) शिक्षा फीस एवं अन्य फीसे– सरकारी महाविद्यालय (जैसे प्रवेश शुल्क, पंजीयन शुल्क, स्थानान्तरण शुल्क, विषय परिवर्तन शुल्क, शिक्षण शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, पुस्तकों का विलम्ब शुल्क एवं अन्य शुल्क)	(03) अन्य प्राप्तिया (03) विविध (टेण्डर फीस, अप्रचलित नकारा सामान की नीलामी राशि अन्य विविध आय	योग
	इस माह की आय			
	गत माह तक प्राप्त आय			
	कुल आय			

आहरण एवं वितरण अधिकारी

राजस्थान सरकार
मदवार व्यय विवरण

जी.ए. 19 / फार्म –2
New form No. 1

माह– ....

मुख्य शीर्ष ....
लघु शीर्ष ....
उप शीर्षक ....
राजकीय महाविद्यालय ....
वितरण अधिकारी का क्रमांक ....

क्र. एवं दिनांक	भुगतान तिथि	विभागीय बिल एवं दिनांक	01 संवेतन	03 यात्रा व्यय	04 चिकित्सा व्यय	05 कार्यालय व्यय	09 किराया एवं कर	18 मशीनरी साज सामान	सामग्री प्रदाय २२	28 अन्य प्रभार	57 खेलकुद	33 प्रयोगशाला	31 पुस्तकालय	योग	कटौती का योग	बिल की शुद्ध राशि
		स्वीकृत बजट														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
योग इस माह का																
योग गत माह का																
योग इस माह के अन्त तक																
शेष बचत राशि																

आहरण एवं वितरण अधिकारी